



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273832
CG-DL-E-25062026-273832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3283]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3417(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, और ब्यूरो से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को अंतरण सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- लागू होना- यह आदेश, इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आने वाले माल या वस्तुओं पर लागू होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - (1) अनुसूची में निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में निहित किसी भी बात के होते हुए, उसके अंतर्गत आने वाले सामान या वस्तुएं संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और इस आदेश के प्रावधानों के अध्याधीन, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची II की स्कीम-II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत एक मानक चिह्न के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के तहत लाइसेंस, केवल उस व्यक्ति को आपूर्ति करने के लिए ऐसे विनिर्माता के लिए उपलब्ध होगा जिसे इस आदेश के खंड 4 के तहत विशिष्ट अनुमति प्रदान की गई है।

(3) जिस व्यक्ति को अनुमति प्रदान की गई है वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश के तहत अनुमत सामान या वस्तुएं संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत निर्धारित लागू भारतीय मानकों के अनुरूप हैं।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के परामर्श से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से ऐसे सामानों के बाजार की निगरानी करेगा ताकि लागू भारतीय मानकों से उनकी अनुरूपता को सत्यापित किया जा सके।

4. अनुमति प्रदान करना- (1) इस आदेश के अधीन निम्नलिखित को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी, -

(क) ऐसे व्यक्ति को जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी है; तथा

(ख) आदेश के तहत गठित एक कार्यान्वयन समिति द्वारा व्यक्ति के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर।

(2) उप-खंड (1) के अधीन दी गई अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(3) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए एक कार्यान्वयन समिति होगी, और उक्त समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रभारी, तकनीकी विनियम), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-अध्यक्ष;

(ख) संबंधित उत्पाद के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव – सदस्य;

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव – सदस्य;

(घ) वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव – सदस्य;

(ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के स्तर के न हो) – सदस्य;

(च) भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के स्तर के न हो) – सदस्य;

(छ) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक अथवा उप सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी (प्रभारी तकनीकी विनियम) – संयोजक; तथा

(ज) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन का प्रतिनिधि, जो उप सचिव अथवा निदेशक के पद के स्तर से नीचे के स्तर का न हो।

(4) कार्यान्वयन समिति किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी तकनीकी क्षमता, प्रदर्शित किए गए अनुभव; उसके डिजाइन एवं विनिर्माण पर नियंत्रण सहित अपनी आपूर्ति शृंखला में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के तरीके; उसके आचरण एवं अनुपालन की सत्यनिष्ठा का पूर्ववृत्त; तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने/उन्नयन या डिजाइन क्षमताओं अथवा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर संबंधित वस्तुओं और सामग्रियों के लिए भारत में आपूर्ति शृंखला क्षमताओं की स्थापना करने की उसकी प्रतिबद्धता; अथवा संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का लगातार तीन वर्षों की अवधि तक बिना किसी चूक के अनुपालन; तथा अन्य किसी संबंधित कारकों के आधार पर करेगी।

(5) कार्यान्वयन समिति व्यक्ति के साथ वार्ता करेगी तथा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, घोषणाओं, प्रमाणपत्रों, वचनबद्धताएं, स्वतंत्र आकलनों तथा ऐसी अन्य सामग्रियों जिन्हें वह अपने मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझती है, पर भरोसा कर सकती है।

(6) शर्तों के उल्लंघन, सामग्री के तथ्यों का मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा उत्पाद के लागू भारतीय मानकों के अनुरूप न पाए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, इस आदेश के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी अनुमति को निलंबित, संशोधित अथवा वापस ले सकती है।

5. आवेदन तथा अन्य प्रक्रियाएं.— (1) इस आदेश के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन, इस आदेश के प्रभावी होने की तारीख से चौबीस माह की अवधि के भीतर स्वीकार किए जाएंगे।

(2) आवेदन प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेजीकरण, हकदारी, मॉनिटरिंग एवं अनुपालन आदि के संबंध में इस आदेश से संबंधित सभी संबंधित जानकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा विभाग की वेबसाइट (<https://www.dpiit.gov.in>) पर उपलब्ध होंगे।

6. अवधि और व्यावृत्ति.— (1) यह आदेश इसके शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और उसके पश्चात्, जब तक कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसकी अवधि का विस्तार न करे, यह रद्द माना जाएगा।

(2) इस तरह रद्द होने के बावजूद, इस आदेश को रद्द किए जाने की तारीख से पहले इस आदेश के अंतर्गत प्रदान की गई कोई भी अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट की गई अवधि तक वैध रहेगी, जब तक कि उसे इस आदेश के उपबंधों के अनुसार निलंबित, संशोधित अथवा वापस न ले लिया जाए।

(3) इस आदेश के रद्द होने से, ऐसे रद्द किए जाने से पूर्व इस आदेश के अंतर्गत उत्पन्न किसी अधिकार, दायित्व, देयता, जांच, कार्यवाही अथवा की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. व्याख्या- यदि इस आदेश की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को उस पर निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

अनुसूची

(खंड 2 देखें)

क्रम सं.	गुणवत्ता नियंत्रण आदेश	जारी करने की तिथि	लागू करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020	25.02.2020	01.01.2021
2.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण- फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020	27.10.2020	01.01.2022
3.	एयर कंडीशनर और इसके संबंधित भागों, हर्मेटिक कंप्रेसर और टंप्रेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019	05.12.2019	01.10.2023
4.	सभी रबर और सभी पॉलिमरिक सामग्री से बने फुटवियर और उसके घटकों (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	27.10.2020	01.08.2024
5.	चमड़े और अन्य सामग्रियों से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	27.10.2020	01.08.2024
6.	घरेलू वाटर हीटिंग लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	11.03.2024	01.03.2025

7.	घरेलू कपड़े धोने के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	07.03.2024	01.04.2025
8.	हिंजेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	12.12.2023	01.07.2025
9.	फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	14.02.2025	13.02.2026
10.	घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026	20.09.2024	01.10.2026

[फा. सं पी-29026/1/2026-एलईआई]

सुमीत कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****ORDER**

New Delhi, the 25th June, 2026

S.O. 3417(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application. - This Order shall apply to the goods or articles covered under the Quality Control Orders specified in the Schedule appended to this Order.

3. Compulsory use of standard mark.- (1) Notwithstanding anything contained in the Quality Control Orders specified in the Schedule, goods or articles covered thereunder shall conform to the corresponding Indian Standards and shall be permitted use of a Standard Mark under a license from Bureau of Indian Standards as per Scheme II of the Schedule II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, subject to the provisions of this Order.

(2) The license under sub-clause (1) shall be available only to a manufacturer for supplying to the person who has been granted specific permission under clause 4 of this Order.

(3) The person granted permission shall ensure that the goods or articles permitted under this Order conform to the applicable Indian Standards prescribed under the corresponding Quality Control Orders.

(4) The Bureau of Indian Standards, in consultation with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, shall either directly or through agencies notified by it, carry out market surveillance of such goods to verify continued conformance with the applicable Indian Standards.

4. Grant of permission. - (1) Permission under this Order may be granted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, -

(a) to a person that is a company incorporated under the Companies Act, 2013; and

(b) based on the risk assessment of the person by an Implementation Committee constituted under the Order.

(2) The permission granted under sub-clause (1) shall be subject to such conditions as may be specified therein.

(3) There shall be an Implementation Committee for the purposes of this Order, and the said Committee shall consist of-

(a) Additional Secretary or Joint Secretary (I/c Technical Regulations), Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Chairperson;

(b) Additional Secretary or Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the concerned Product- Member;

(c) Joint Secretary, Department of Consumer Affairs -Member;

(d) Joint Secretary, Department of Commerce - Member;

(e) Representative of Directorate General of Foreign Trade (not below the rank of Joint Secretary level) --Member;

(f) Representative of Bureau of Indian Standards (not below the rank of Joint Secretary level)-Member;

(g) Director or Deputy Secretary or equivalent (I/c Technical Regulations), Department for Promotion of Industry and Internal Trade- Convenor; and

(h) Any other representative not below the rank of Deputy Secretary or Director from other Ministry or Department or Organization invited by the Chairperson;

(4) The Implementation Committee shall assess the person based on its technical capability, demonstrated experience; manner of ensuring quality assurance across its supply chain including through control over its design and manufacturing; history of conduct and compliance integrity; and its commitment to establish supply chain capabilities in India for the concerned goods and articles by promoting technological adoption/advancement or design capabilities or research and development; or its compliance for the concerned Quality Control Order for a continuous period of three years without any default; and any other relevant factors.

(5) The Implementation Committee may interact with the person and rely upon documents, declarations, certifications, undertakings, independent assessments, as may be provided by the person, and such other material that it considers appropriate for the purpose of its assessment.

(6) In case of breach of conditions, misrepresentation of material facts or failure of product to conform to applicable Indian standards, the Central Government may suspend, modify or withdraw any permission granted under this Order, after giving opportunity to be heard.

5. Application and other modalities. - (1) The applications for permission under the Order shall be accepted within twenty-four months from the date of commencement of this Order.

(2) All relevant details pertaining to this Order in respect of the application process, documentation required, entitlements, monitoring and compliance, etc., shall be specified in guidelines issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and be available at the website (<https://www.dpiit.gov.in>).

6. Duration and savings. - (1) This Order shall remain in force for a period of five years from the date of its commencement and shall thereafter stand rescinded unless it is extended by the Central Government by notification in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding such rescission, any permission granted under this Order prior to the date of rescission shall continue to remain valid for the period specified therein unless suspended, modified or withdrawn in accordance with the provisions of this Order.

(3) The rescission of this Order shall not affect any right, obligation, liability, investigation, proceeding or action arising under this Order prior to such rescission.

7. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of this Order, the same shall be referred to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade for its decision.

SCHEDULE

(See clause 2)

S. No.	Quality Control Orders.	Date of issue.	Date of implementation.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Toys (Quality Control) Order, 2020.	25.02.2020	01.01.2021
2.	Personal Protective Equipment- Footwear (Quality Control) Order, 2020.	27.10.2020	01.01.2022
3.	Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019.	05.12.2019	01.10.2023
4.	Footwear made from All Rubber and all Polymeric Material and its components (Quality Control) Order, 2024.	27.10.2020	01.08.2024
5.	Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Order, 2024.	27.10.2020	01.08.2024
6.	Electrical appliance for domestic water heating (Quality Control) Order, 2025.	11.03.2024	01.03.2025

7.	Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2024.	07.03.2024	01.04.2025
8.	Hinges (Quality Control) Order, 2025.	12.12.2023	01.07.2025
9.	Furniture (Quality Control) Order, 2025.	14.02.2025	13.02.2026
10.	Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2026.	20.09.2024	01.10.2026

[F. No. P-29026/1/2026-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.